न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–131 / 2021

1. रिछपाल पुत्र साहबराम जाति जाट निः 4 जी छोटी, श्रीगंगानगर हाल 10 केएचएम खाजूवाला।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बृजलाल चाहर।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश **दिनांक :– 08.07.2022**

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट उपरान्त न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है मुझ प्रार्थी के पिता साहबराम पुत्र गुरदयालराम जाति जाट निवासी 4 जी छोटी श्रीगंगानगर के नाम से तहसील खाजूवाला के चक 10 केएचएम के मुरब्बा नं0 78 / 7 के किला नं0 6, 11, 15 ता 19, 20, 25 की कुल 9.00 बीघा व मुरब्बा नं0 58 / 63 के किला नं0 12 ता 15 की 4.00 बीघा इसप्रकार कुल तादादी 13.00 बीघा कमाण्ड / अनकमाण्ड भूमि खरीदशुदा है उक्त भूमि की खातेदारी व इन्तकाल सं0 44 में भी उक्त समस्त भूमि प्रार्थी के पिता के नाम है। हल्का पटवारी द्वारा रिकॉर्ड दुरुस्त करते समय प्रार्थी के मुरब्बा नं0 नं0 78 / 7 के किला नं0 11 को हांकमखां के नाम से त्रुटि से दर्ज कर दिया और तब से उसी के नाम से चला आ रहा है जबकि किला नं0 11 प्रार्थी का है तथा पहले प्रार्थी के नाम से ही था। रिकॉर्ड के संधारण करते समय किला नं0 11 को दूसरे के नाम दर्ज कर दिया गया जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि चक 10 केएचएम के मु0नं0 78 / 7 के किला नं0 11 के नाम को दुरुस्त कर प्रार्थी के पिता साहबराम के नाम से दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:03:54 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को पक्ष रखने हेतु नोटिस जरिये रजि0ए0डी0 दिनांक 25.03.2022 भिजवाने पर अप्रार्थी ने सहमति बाबत्

प्रार्थनापत्र दिनांक 11.04.2022 पेश किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र में वर्णित कथन को साबित करने के लिए साक्ष्य/सबूत के तौर पर खातेदारी सनद प्रति, इन्तकाल बैयनामा का, गिरदावरी सम्वत् 2056, गिरदावरी सम्वत् 2060, तहसीलदार रिपोर्ट, सहमति प्रार्थना पत्र हाकमखां प्रस्तुत किये जिनको क्रमशः प्रदर्श 1 ता 6 पढ़ा गया। जो कि पत्रावली में प्रदर्श 1 से 6 तक शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार खाजूवाला ने भी अपनी रिपोर्ट लिखा है कि बैयनामा इन्तकाल संख्या 44 से किला नं0 11 साहबराम पुत्र गुरदयालराम जाट दर्ज हुआ पटवारी रिपोर्ट अनुसार सम्वत् 2056–59 गिरदावरी में किला नं0 11 साहबराम के नाम दर्ज रहा संलग्न गिरदावरी सम्वत् 2060 में मु0नं0 78/7 के किला नं0 11 हाकमखां के नाम दर्ज हो गया व सम्वत् 2060 से वर्तमान में यह रकबा हाकम खां के नाम दर्ज है। उक्त त्रुटि उपनिवेशन विभाग के समय की है तथा आधार जमाबंदी बनने से पहले की है।

बहस सुनी गई जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श 1–6) के आधार पर स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो (प्रदर्श 1–6) का गहनता से अवलोकन किया। चक 10 केएचएम के मुरब्बा नं0 78/7 के किला नं0 11 प्रार्थी के पिता साहबराम पुत्र गुरदयालराम जाट के नाम की जगह अप्रार्थी हाकमखां का नाम सहवन से दर्ज किया प्रतीत होता है जो लिपिकीय त्रुटि है। इसलिए तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रदर्श 1–6 के आधार पर किला नं0 11 साहबराम पुत्र गुरदयालराम जाट के नाम दर्ज किया जाना न्यायसंगत है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में चक 10 केएचएम के मुरब्बा नं0 78/7 के किला नं0 11 अप्रार्थी हाकमखां की जगह प्रार्थी के पिता साहबराम पुत्र गुरदयालराम जाट के नाम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:03:54 IST
Reason: SelfAttested

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)